सत्यमेव जयते

# भारत सरकार
## पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
## क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
## Ministry of Environment, Forest and Climate Change
## Regional Office (Central Region)

केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी/यू.पी./04/83/2016/एफ.सी./1690 दिनॉक: 14/12/17

सेवा में,
मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (वन संरक्षण),
वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग,
लखनऊ।

Online Proposal No.: FP/UP/TRANS/7883/2014

**विषय: आगरा में 110/132 के0वी0 अर्थ इलैक्ट्रोड पारेषण लाईन के निर्माण हेतु शमशाबाद – राजखेड़ा मार्ग की 0.0972 हे0 (पूर्व में 0.0792 हे0) संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति।**

**सन्दर्भ: मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उ0 प्र0 का पत्रांक–1411/आगरा–7883/यू0पी0–90/2015, दिनांक– 22.11.2017**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उ0 प्र0 का पत्रांक–469/आगरा–7883/यू0पी0–90/2015, दिनांक– 05.09.2016 का आषय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन संरक्षण के अधिनियम 1980 के तहत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक– 26.05.2017 द्वारा प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसकी अनुपालन आख्या मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उ0 प्र0 के पत्रांक–1070/आगरा–7883/यू0पी0–90/2015, दिनांक– 16.10.2017 द्वारा प्रस्तुत की गयी थी। प्रकरण में पुनः इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक– 06.11.2017 द्वारा आवश्यक सूचना चाही गयी थी जिसकी अनुपालन आख्या मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उ0 प्र0 के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार आगरा में 110/132 के0वी0 अर्थ इलैक्ट्रोड पारेषण लाईन के निर्माण हेतु शमशाबाद – राजखेड़ा मार्ग की 0.0972 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:–

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।

2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के अन्तर्गत 100 वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जाएगा। उक्त वृक्षारोपण का कार्य विधिवत् स्वीकृति जारी होने के 01 वर्ष के भीतर पूर्ण किया जाएगा।

3. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित पारेषण लाइन के नीचे रिक्त पड़े स्थानों पर छोटे पौधों विशेषकर औषधीय पौधों का यथोचित् वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा। उक्त वृक्षारोपण का कार्य विधिवत् स्वीकृति जारी होने के 01 वर्ष के भीतर पूर्ण किया जाएगा।

13.12.17

4. अगर शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन.पी.वी. की बढ़ी हुई दर की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी।

5. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एंव जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जाएगी।

6. प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जाएगा।

7. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों /स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हों।

9. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

10. प्रत्यावर्तित वन क्षेत्र का सीमा स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। प्रत्येक पीलर पर कमांक,डी0जी0पी0एस0 निर्देशांक, Backward and Forward bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलर से दूरी दर्शायी जाएगी। उक्त सीमांकन का कार्य विधिवत् स्वीकृति जारी होने के 03 माह के भीतर पूर्ण किया जाएगा।

11. प्रयोक्ता अभिकरण एवं राज्य सरकार वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी।

12. प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में केन्द्र सरकार को प्रदत्त विधिवत् स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

भवदीय,

o/c 13.12.17

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अतिरिक्त वनमहानिदेशक एफ.सी., पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
2. निदेशक (आर0ओ0एच0क्यू0) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नयी दिल्ली–110003.
3. प्रमुख सचिव(वन),वन अनुभाग, 6वां तल,बापु भवन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा, उ0 प्र0।
5. प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, आगरा, उ0 प्र0।
6. मुख्य प्रबन्धक, पॉवर ग्रिड कार्पो0 आफॅ इण्डिया लि0, 400 के0वी0 सब स्टेशन, शमशाबाद रोड, पोस्ट– श्यामों, आगरा, उ0 प्र0।
7. तकनीकी अधिकारी, पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
8. आदेश प्रत्रावली

o/c 13.12.17

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक {केन्द्रीय}